

6 Fire - Safety Certificate

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

फायर ब्रिगेड

क.ग. / फायर ब्रिगेड / 2012

भोपाल दिनांक 24/4/2012

प्रति,

.....
.....
.....

....., भोपाल

विषय:- आपके स्वामित्व/प्रबंधन के बहुमंजिला भवन/प्रकोष्ठ में अग्नि दुर्घटना से बचाव के संबंध में किये गये उपायों की जानकारी दिये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शहर में बड़ी संख्या में अग्नि दुर्घटनाएं हो रही हैं और नगर निगम का फायर ब्रिगेड द्वारा उनको नियंत्रित किया जा रहा है। प्रायः देखने में आ रहा है कि बहुमंजिला भवनों के स्वामियों अथवा उनके प्रबंधकों द्वारा उनकी ओर से अग्नि दुर्घटनाएं रोकने के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक भवन स्वामी को अथवा भवन के प्रबंधक को अपनी इमारत में अग्नि दुर्घटना से रोकने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट-4 के अनुसार पर्याप्त इंतजाम करना आवश्यक है।

इस पत्र के साथ आपको एक प्रपत्र संलग्न कर दिया जा रहा है, इस प्रपत्र को भरकर अपने जोन के जोनल कार्यालय में तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करायें। यदि समय सीमा में आपके द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है तो यह माना जायेगा कि, आपके द्वारा अग्नि दुर्घटना से संबंधित कोई उपाय नहीं किये हैं और आपके विरुद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

.....
.....

रजनीश श्रीवास्तव
आई.ए.एस.

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, भोपाल

9893596929.

9425601302

कार्यालय 02
नगर पालिक निगम

विशेषज्ञ
पानी की रजिस्ट्रार